

क्रमांक 0349988
Serial No.

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान
Board of Secondary Education, Rajasthan



प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित
Certificate with Mark-Sheet

माध्यमिक परीक्षा - 2013
Secondary Examination - 2013

नामांक Roll No.	केन्द्र Centre	जिला District	नियमित/स्वयंपाठी Regular/Private	श्रेणी Category	संदर्भ संख्या Ref. No.
0847982	22001	SIKAR	REGULAR	1	823153

प्रमाणित किया जाता है कि
This is to certify that

GOPESH SHARMA

पिता का नाम
Father's Name

VIJAY KUMAR SHARMA

माता का नाम
Mother's Name

USHA SHARMA

जन्म दिनांक
Date of Birth

**08-08-1998
EIGHTH AUGUST -NINETEEN NINETY EIGHT**

ने माह मार्च 2013 में आयोजित माध्यमिक परीक्षा
has appeared in March 2013 at the Secondary Examination from
1221004 - VIDHYA BHARTI PUBLIC SEC SCH, CIVIL LINES, SIKAR

से प्रविष्ट होकर निम्नांकित विषयों में दर्शाये गये अंको सहित उत्तीर्ण की :
and was declared Pass with subject-wise marks mentioned below :

विषय एवं पूर्णांक/न्यूनतम उत्तीर्णांक (Sub. & Total/Min. Pass Marks)	हिन्दी (Hindi) 100/33			अंग्रेजी (English) 100/33			विज्ञान (Science) 100/33		
	सैद्धा (Th.)	सत्रांक (Sess.)	योग (Total)	सैद्धा (Th.)	सत्रांक (Sess.)	योग (Total)	सैद्धा (Th.)	सत्रांक (Sess.)	योग (Total)
प्राप्तांक (Marks Obtained)	42	20	62	43	20	63	45	20	65

विषय एवं पूर्णांक/न्यूनतम उत्तीर्णांक (Sub. & Total/Min. Pass Marks)	सामाजिक विज्ञान 100/33 (Social Science)			गणित 100/33 (Mathematics)			तृतीय भाषा 100/33 (Third Language)			
	सैद्धा (Th.)	सत्रांक (Sess.)	योग (Total)	सैद्धा (Th.)	सत्रांक (Sess.)	योग (Total)	सैद्धा (Th.)	सत्रांक (Sess.)	योग (Total)	
प्राप्तांक (Marks Obtained)	52	20	72	54	20	74	SANSKRIT	53	20	73

कुल पूर्णांक Total Max. Marks	कुल प्राप्तांक Total Marks Obtained	परिणाम Result
600	409 68.17%	FIRST DIVISION

विषय एवं पूर्णांक Subject & Max. Marks	राजस्थान अध्ययन Rajasthan Studies 100/33	फाउन्डेशन ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी Foundation of Information Technology 100	समाजसेवी जनसंघ कार्य एवं स्वयं सेवा (S.U.P.W.&C.S.)	शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा Physical & Health Education 100	कला शिक्षा Art Education
प्राप्तांक / ग्रेडिंग Marks obtained & Grading	92	93	A	95	A

अजमेर
AJMER

दिनांक
DATE 06TH JUNE, 2013

(विशेष विवरण हेतु कृपया पृष्ठ उलटिए)

(एम. आर. शर्मा)
M.R. Sharma
सचिव
Secretary

विशेष विवरण

1. माध्यमिक परीक्षा में श्रेणी (Division) निर्धारण के लिये पूर्णांक 600 है। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी (Division) में उत्तीर्ण होने के लिये क्रमशः 60,45 तथा 33 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक है एवं प्रमाण पत्र अंक-तालिका सहित में प्रतिशत (५) दर्शाये जायेंगे। विशेष योग्यता 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर ही भाषा विषयों सहित सभी विषय/विषयों में दी जायेगी। परीक्षा श्रेणी (Category) 4 एवं 5 के परीक्षार्थियों के लिए यह नियम लागू नहीं होंगे।
2. नियमित परीक्षार्थियों के लिये समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, कला शिक्षा, राजस्थान अध्ययन एवं फाउन्डेशन आक इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी विषय लेना अनिवार्य है, किन्तु स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को इन विषयों से मुक्त रखा गया है। राजस्थान अध्ययन फाउन्डेशन आक इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी तथा शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा विषयों में अंक प्रदान किये गये हैं तथा शेष विषयों में अंकों के स्थान पर निम्नानुसार प्रेंटिंग किया गया है :-
उकृष्ट- A. बहुत अच्छा - B. अच्छा - C. सामान्य - D. सामान्य से कम - E
3. परीक्षा श्रेणी (Category) का तात्पर्य परीक्षा में सम्मिलित निम्न प्रकार के परीक्षार्थियों से है :-
(क) सम्पूर्ण विषयों में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी..... 1
(ख) श्रेणी (Division) सुधार हेतु पुनः सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी..... 2
(ग) पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी 5
(घ) अतिरिक्त विषय/विषयों में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी..... 4
(ङ) प्राच्य भाषा में उत्तीर्ण होने के बाद अंग्रेजी अनिवार्य अथवा हिन्दी अनिवार्य विषय में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी 5
4. परीक्षा में प्रविष्ट होने के उपरान्त भी परीक्षार्थी प्रमाण पत्र अंक-तालिका सहित में किसी विषय में अनुपस्थित पाता है तो वह केन्द्राधीक्षक से उपस्थिति प्रमाणित करवाकर अधिकतम तीन माह की अवधि में बोर्ड कार्यालय को सूचित करे।
5. बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रलेखों की प्रविष्टि में डेफेर अथवा रद्दोद्यतल / ऊपरिलेखन करना दंडनीय कार्य है, ऐसा पाये जाने पर दोष की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. प्रामाणिकों को पुनः गणना (Re-totalling) हेतु आवेदन पत्र मयशुल्क के बोर्ड कार्यालय में परीक्षाफल घोषणा की तिथि से दस दिवस की अवधि में पहुँच जाने चाहिये। इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। प्रत्येक विषय के लिए शुल्क रुपये 200/- निर्धारित है। पुनः गणना हेतु आवेदन पत्र उपनिदेशक (गोपनीय)के नाम से भेजे। संवीक्षा (पुनर्गणना) में किसी भी अभ्यर्थी को उत्तर-पुस्तिका को पुनः जांच (Re-examination) करना समाविष्ट नहीं है।
7. प्रतिलिपि प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित पर परीक्षार्थी का फोटो मुद्रित नहीं किया जाता है।
8. यदि परीक्षार्थी के नाम/पिता/माता/के नाम अथवा जन्म तिथि के संशोधन अपेक्षित है तो नियमानुसार परिणाम घोषणा की तिथि से दो वर्ष की अवधि में संशोधन की कार्यवाही करे। उसके परचात् संशोधन नहीं किया जायेगा।
9. ABBREVIATIONS:-
AA - अनुपस्थित
D - विषय में विशेष योग्यता
G - सानुग्रह अंक



विद्यालय प्रधान / केन्द्राधीक्षक द्वारा पृष्ठांकन

प्रमाणित किया जाता है कि परीक्षार्थी के नाम, माता-पिता के नामों की वर्तनी (स्पेलिंग) सहित जन्म दिनांक की शाला रिकॉर्ड के अनुसार भली प्रकार से जांच कर ली गई है। सही पाये जाने पर परीक्षार्थी जिसके हस्ताक्षर नीचे किये हुए हैं का प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित दिनांक : 4/7/13 को दिया गया।

(Signature)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

(Signature)
(Pawan Kumar Sharma)
विद्यालय प्रधान / केन्द्राधीक्षक के
Headmaster (3-22/1004)
हस्ताक्षर व विद्यालय की मूला मोहर
Vidya Bharti Public Sch. School
SIKAR (Raj.)

नोट :- परीक्षार्थी के नाम, पिता माता के नामों में वर्तनी (स्पेलिंग) या उपनाम/जन्म दिनांक में शाला रिकॉर्ड से भिन्न पाये जाने पर संशोधनार्थ अपनी अभिशांका के साथ नियमानुसार मूल दस्तावेज व प्रमाणित प्रतियां सहित दस्तावेज तुरन्त बोर्ड को लौटा दिये जावें।

परीक्षार्थी को यदि मूल प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित उक्त पृष्ठांकन के बिना दिया गया हो तो यह अमान्य होगा।